



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1943 (श0)
(सं0 पटना 23) पटना, बृहस्पतिवार, 13 जनवरी 2022

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना
13 जनवरी 2022

एस० ओ० 68, दिनांक 13 जनवरी 2022—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1- l f{kr uke] foLrkj vS i kjHkA&

- (1) यह नियमावली बिहार पेशा कर (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2- fcgkj i s k dj fu; ekoyh 2011 f{t l s bl eabl ds i ' pkr "mDr fu; ekoyh dgk x; k gS/2 ds fu; e 3 eal akku :-

- (1) उक्त नियमावली के नियम 3 के पार्श्वशीर्ष में "निबंधन" शब्द के पश्चात् एक कॉमा अंतःस्थापित किया जाएगा एवं ऐसे अंतःस्थापित किये गये कॉमा के पश्चात् "संशोधन और उसका रद्दीकरण" शब्द जोड़े जाएंगे।
- (2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नए उपनियम (5) और (6) जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"(5)(क) जहाँ नियोजक या कटौतीकर्ता के नाम या कर दायित्व की तिथि में कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ वाणिज्य कर विभाग के शासकीय वेब-साइट पर दाखिल करेगा।

- (ख) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उचित सत्यापन के बाद, संशोधन को अनुमोदित करेगा और निबंधन का संशोधित प्रमाण पत्र आवेदक को वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ग) जहाँ आवेदन या इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज में कमी पायी जाती है, उक्त प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।
- (घ) जहाँ परिवर्तन के परिणामस्वरूप –
- (i) स्थायी लेखा संख्या या ऐसे स्थायी लेखा संख्या के अनुसार नाम, या
 - (ii) कर कटौती और संग्रह खाता संख्या या कर कटौती और संग्रह खाता संख्या के अनुसार नाम, या
 - (iii) अंचल का क्षेत्राधिकार, या
 - (iv) नाम और प्रकृति, या
 - (v) माल और सेवा कर पहचान संख्या,
- में परिवर्तन होता है, नियोजक नए निबंधन के लिए आवेदन करेगा।
परंतु मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, व्यवसाय के स्थान का पता या फर्म का नाम, पेशा या व्यापार की प्रकृति का कोई परिवर्तन, नियोजक द्वारा वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर अपने लॉगिन के माध्यम से अपडेट किया जा सकेगा।
- (6)(क) नियोजक जो अपने निबंधन का रद्दीकरण चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन, इसके समर्थन में साक्ष्य के रूप में सहायक दस्तावेजों के साथ, वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर रद्दीकरण के लिए जिम्मेदार घटना के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित सत्यापन के बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।”

3- mDr fu; elokh dsfu; e 4 dk l ákku A&

- (1) उक्त नियमावली के नियम 4 के पार्श्वशीर्ष में “नामांकन” शब्द के पश्चात् एक कॉमा अंतःस्थापित किया जाएगा और ऐसे अंतःस्थापित किये गये कॉमा के पश्चात् “संशोधन और उसका रद्दीकरण” शब्द जोड़े जाएंगे।
- (2) उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (3) के बाद निम्नलिखित नए उपनियम (4) और (5) जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-
- “(4)(क) जहाँ निर्धारिती के नाम या कर दायित्व की तिथि में कोई परिवर्तन होता है, निर्धारिती ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, इस तरह के परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर प्रस्तुत करेगा।
- (ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उचित सत्यापन के पश्चात्, संशोधन को अनुमोदित करेगा और संशोधित नामांकन प्रमाण पत्र आवेदक को वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ग) जहाँ आवेदन या इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में कमी पाया जाता है, उक्त प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।
- (घ) मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, व्यवसाय के स्थान का पता या फर्म का नाम, पेशा या व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन, कर निर्धारिती द्वारा वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर अपने लॉगिन के माध्यम से अपडेट किया जा सकेगा।
- (5)(क) कोई निर्धारिती जो अपने नामांकन का रद्दीकरण चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन, इसके समर्थन में साक्ष्य के रूप में सहायक दस्तावेजों के साथ, रद्दीकरण के लिए जिम्मेदार घटना के 30 दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्य-कर विभाग की शासकीय वेब-साइट पर प्रस्तुत करेगा।

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकार, उचित सत्यापन के बाद, आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।”

[(संस० बिक्री-कर/संशोधन-10/2015-56)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

13 जनवरी 2022

एस० ओ० 68, दिनांक 13 जनवरी 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(संस० बिक्री-कर/संशोधन-10/2015-56)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 13th January 2022

S.O. 68, dated 13th January 2022.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10, 2011) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules further to amend the Bihar Professional Tax Rules, 2011:-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) These Rules may be called the Bihar Professional Tax (Amendment) Rules, 2021.
- (2) It shall extend to the whole state of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette .

2. Amendment of Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 (hereinafter referred to as the "said Rules")

- (1) A comma shall be inserted after the word "Registration" in the marginal heading of Rule 3 of the said Rules and after the comma so inserted, the words " amendment and cancellation thereof" shall be inserted.
- (2) After sub-rule (4) of Rule 3 of the said Rules the following new sub-rules (5) and (6) shall be inserted, namely :-
 - “(5)(a) Where there is any change in the name of employer or deductor or date of liability, the employer shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application electronically along with the documents relating to such change on the official web-site of the Commercial Taxes Department.
 - (b) The authority specified in sub-rule (1) shall, after due verification, approve the amendment and the amended certificate of registration shall be made available to the applicant on the official web-site of the Commercial Taxes Department.
 - (c) Where the application or the documents submitted therewith are found to be deficient, the said authority shall reject the application and shall inform the applicant accordingly.

- (d) Where a change results in-
- (i) change of the Permanent Account Number, or the name as per such Permanent Account Number, or
 - (ii) the Tax Deduction and Collection Account Number, or the name as per such Tax Deduction and Collection Account Number, or
 - (iii) the jurisdiction of the circle, or
 - (iv) the name and style, or
 - (v) the Goods and Services Tax Identification Number, the employer shall apply for fresh registration:

Provided that any change in mobile number, e-mail address, address of the place of the business or name of the firm, nature of profession or trade shall be updated by the employer through his own login at the official web-site of the Commercial Taxes Department.

- (6)(a) The employer seeking cancellation of his registration shall submit electronically an application, along with supporting documents by way of evidence in support thereof, on the official web-site of the Commercial Taxes Department within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation.
- (b) The authority specified in sub-rule (1) shall, after due verification, approve or reject the application and shall inform the applicant accordingly."

3. Amendment of Rule 4 of the said Rules .—

- (1) A comma shall be inserted after the word "Enrolment" in the marginal heading of Rule 4 of the said Rules and after the comma so inserted, the words " amendment and cancellation thereof" shall be inserted.
- (2) After sub-rule (3) of Rule 4 of the said Rules the following new sub-rules (4) and (5) shall be inserted, namely :-
- “(4)(a) Where there is any change in the name of the assessee or the date of liability, the assessee shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application electronically along with the documents relating to such change on the official web-site of the Commercial Taxes Department.
- (b) The authority specified in sub-rule (1) shall, after due verification, approve the amendment and the amended Certificate of Enrolment shall be made available to the applicant on the official web-site of the Commercial Taxes Department.
- (c) Where the application or the documents submitted therewith are found to be deficient, the said authority shall reject the application and shall inform the applicant accordingly.
- (d) Any change in mobile number, e-mail address, address of the place of the business or name of the firm, nature of profession or trade shall be updated by the tax assessee through his own login at the official web-site of the Commercial Taxes Department.
- (5)(a) An assessee seeking cancellation of his enrolment shall submit electronically an application, along with supporting documents by way of evidence in support thereof, on the official web-site of the Commercial Taxes Department within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation.

(b) The authority specified in sub-rule (1) shall, after due verification, approve or reject the application and shall inform the applicant accordingly."

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-10/2015-56)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Secretary-Cum-Commissioner State Tax.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 23-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>